

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- ...656... दिनांक:- 23/12/24

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- 132 KV D/C Jamua-Gawan Transmission Line के निर्माण हेतु गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल के अन्तर्गत 54.407 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह का पत्रांक 753 दिनांक 11.07.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/trans/45077/2020 हेतु कुल 54.407 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पांच-पांच प्रतियाँ इस कार्यालय में समर्पित की गयी है।

मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल गिरिडीह के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

- यह परियोजना गिरिडीह पूर्वी एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
- Form-A Part-I के अनुसार इस परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल 177.363 हे० भूमि की आवश्यकता है जिसमें 54.407 हे० वनभूमि एवं 122.956 हे० गैर वनभूमि शामिल है।
- प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	गिरिडीह पूर्वी	37.216	9.071	46.287	0.2
2	गिरिडीह पश्चिमी	4.016	4.104	8.12	0.2
कुल - 02		41.232	13.175	54.407	

- प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन दर्ज है। तथा भारत सरकार के website पर निर्धारित Format में अभियुक्ति दर्ज कर Upload किया गया है।
- प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण का Authorization Letter संलग्न है।
- प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/संलग्न है।
- प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी एवं पश्चिमी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह का मंतव्य दर्ज है। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी एवं पश्चिमी एवं मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी एवं पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा निर्धारित Format पार्ट-II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है।
- पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
- प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन निर्माण का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है।

11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी एवं गिरिडीह पश्चिमी द्वारा अपने-अपने पार्ट-II में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण संरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 1744 है।
14. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है।
15. इस परियोजना में अर्तग्रस्त 13.175 हे० जंगल-झाड़ी वनभूमि के उपयोग हेतु संबंधित आयुक्त उतरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के पत्रांक 1723 दिनांक 09.11.2023 द्वारा प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
16. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त गिरिडीह के पत्रांक 511 एवं 512 दिनांक 13.07.2020 द्वारा अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त है। साथ ही इस क्रम में हुई आमसभा/ग्रामसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न है।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
18. वन प्रमंडल पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल ने अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि पर किसी भी प्रकार की violation नहीं किये जाने की सूचना दी गई है।
19. अपयोजन हेतु प्रस्तावित 54.407 हे० वनभूमि के दो गुणे क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 108.814 हे० के विरुद्ध कुल 112.882 हे० अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है। जो निम्नवत् है:-

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना एवं थाना नं०	प्लॉट नं०	अवकृष्ट वनभूमि का रकवा हे० में
1	गिरिडीह पूर्वी	भन्डराटांड	देवरी / 40	2,3,4	55.179
		दलदलिया	गांवा / 71	01	29.687
		जगाई	देवरी / 147	70	11.776
2	गिरिडीह पश्चिमी	चिनमानो उर्फ तीनतारा	खरगडीहा / 487	01,15,11	16.240
कुल :					112.882 हे०

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित अवकृष्ट वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

20. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
21. मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल गिरिडीह द्वारा अपने पार्ट-III में यह अभियुक्ति दर्ज की गयी है कि “(i) A wildlife Management Plan will be prepared by the user agency in consultation with concerned DFO which will be implemented at the cost of agency after the approval of PCCF Wildlife Cum Chief wildlife warden Jharkhand.”
(ii) A Soil Conservation Scheme will also be prepared by user agency with consultation with concerned DFO and will be implemented on project cost.”
22. इस कार्यालय के पत्रांक 644 दिनांक 19.07.2024 द्वारा CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया गया है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
23. प्रयोक्ता अभिकरण को इस परियोजना हेतु कुल 54.407 हे० वनभूमि की अपयोजन हेतु अनुरोध किया गया है।
24. प्रस्तावित 54.407 हे० वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मंतव्य से सहमत है।

मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह से प्राप्त प्रस्ताव की तीन-तीन मूल प्रतियाँ प्रत्येक वन प्रमंडल से इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 54.407 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु **स्टेज-1** प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:—यथोक्त।

मूल प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन


23/7/24
प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. D. S.
23. 7. 24

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Construction of 132 KV D/C Jamua to Gawan T/L 54.407 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 54.407 ha of Forest land.

Date :- 23-07-2024

Place :- Ranchi

Signature


(Shashikar Samanta)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)